छत्तीसगढ़ विधान सभा

पत्रक भाग - एक

संक्षिप्त कार्य विवरण

षष्ठम् विधान सभा तृतीय सत्र अंक-03

रायपुर, बुधवार, दिनांक 24 जुलाई, 2024

(श्रावण 2, शक संवत् 1946)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (डॉ.रमन सिंह) पीठासीन हुए।)

1. प्रश्नकाल

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 01, 02, 03, 04, 05 एवं 06 (कुल 06) प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये ।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नों के रूप में परिवर्तित 76 तारांकित एवं अतारांकित 101 प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे ।

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री केदार कश्यप, जल संसाधन मंत्री ने बांध सुरक्षा अधिनियम, 2021 (क्रमांक 41 सन् 2021) की धारा 45 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार राज्य बांध सुरक्षा संगठन द्वारा प्रस्तुत बांध सुरक्षा वार्षिक प्रतिवेदन वित्तीय वर्ष 2023-2024,

(2) श्री केदार कश्यप, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री ने कंपनी अधिनियम, 2013 (क्रमांक 18 सन् 2013) की धारा 395 की उपधारा (1) के पद (बी) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 2022-2023,

(3) श्री राम विचार नेताम, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास मंत्री ने छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, 1995 (क्रमांक 26 सन् 1995) की धारा 15 की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का सोलहवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2022-2023 (दिनांक 01 अप्रैल, 2022 से 31 मार्च, 2023 तक), **तथा**

(4) श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े, समाज कल्याण मंत्री ने दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (क्रमांक 49 सन् 2016) की धारा 83 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य आयुक्त दिव्यांगजन छत्तीसगढ़ का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2023-2024,

पटल पर रखे ।

3. पृच्छा

(1) माननीय सदस्य सर्वश्री भूपेश बघेल, उमेश पटेल द्वारा प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था की स्थिति संबंधी स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा कराये जाने की मांग की गई।

(2) माननीय सदस्य श्री अजय चन्द्राकर द्वारा प्रदेश में बहुत सारी दवाइयों के उपलब्ध नहीं होने व अमानक दवाइयों के संबंध में तथा माननीय सदस्य श्री धर्मजीत सिंह द्वारा छत्तीसगढ़ में टी.बी. के मरीजों के लिए बाजार में दवाइयां उपलब्ध नहीं होने संबंधी उनकी ध्यानाकर्षण सूचना को ग्राह्य कर इस पर चर्चा कराये जाने की मांग की गई।

4. स्थगन प्रस्ताव

प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था

माननीय अध्यक्ष द्वारा प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था के संबंध में 35 सदस्यों की ओर से प्राप्त स्थगन प्रस्ताव की सूचनाओं में से श्री भूपेश बघेल, सदस्य की सूचना सर्वप्रथम प्राप्त होने से पढ़ी गई ।

माननीय अध्यक्ष ने स्थगन प्रस्ताव की ग्राह्यता पर चर्चा हेतु अपराह्न 3.00 बजे का समय निर्धारित किया ।

5. ध्यानाकर्षण सूचना

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि सदस्यों की ओर से अभी तक प्राप्त ध्यानाकर्षण की सूचनाओं में दर्शाये गये विषयों की अविलंबनीयता तथा महत्व के साथ ही माननीय सदस्यों के विशेष आग्रह को देखते हुए सदन की अनुमति की प्रत्याशा में नियम 138 (3) को शिथिल करके मैंने आज की कार्यसूची में तीन ध्यानाकर्षण सूचनाएं शामिल किये जाने की अनुज्ञा प्रदान की है ।

मैं समझता हूं कि सदन इससे सहमत है ।

सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई ।

(1) श्री सुशांत शुक्ला सदस्य ने जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़ के ग्राम कोसीर एवं गाताडीह में सहकारी सोसायटी में व्याप्त अनियमितता की ओर सहकारिता मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री केदार कश्यप, सहकारिता मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

6. अध्यक्षीय निर्देश

माननीय सदस्यों द्वारा अपनी आसंदी को छोड़कर अन्य माननीय सदस्य की आसंदी पर जाकर बात-चीत करने पर माननीय अध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि अभी ध्यानाकर्षण जैसा गंभीर मुद्दा माननीय सदस्य पढ़कर सुना रहे हैं, जिन माननीय सदस्यों को उनकी ध्यानाकर्षण सूचना को सुनना है, वे अपने स्थान पर ही बैठकर सुनें और जिन्हें बाहर जाना है, वे सभावेष्म से बाहर चले जायें। हाऊस में इस प्रकार से अन्य सदस्य के आसन पर जाकर चर्चा करना उचित नहीं है। इस संबंध में पूर्व में भी आसंदी से निर्देश दिये जाते रहे हैं । विधान सभा की मर्यादा है, इसकी गरिमा है, आप उसको पालन करते हुए चलें।

(2) डॉ.चरणदास महंत सदस्य ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत गरीबों के राशन की अफरा-तफरी किये जाने की ओर खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री का ध्यान आकर्षित किया ।

श्री दयाल दास बघेल, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(3) श्री रोहित साहू सदस्य ने तीर्थ नगरी राजिम में बस स्टैण्ड निर्माण कार्य लम्बित होने की ओर उप मुख्यमंत्री (नगरीय प्रशासन) का ध्यान आकर्षित किया ।

(सभापति महोदय (श्री धर्मजीत सिंह) पीठासीन हुए।)

श्री अरूण साव, उप मुख्यमंत्री (नगरीय प्रशासन) ने इस पर वक्तव्य दिया।

7. सदन को सूचना

माननीय नेता प्रतिपक्ष डॉ.चरणदास महंत एवं माननीया सदस्य श्रीमती संगीता सिन्हा ने सदन का ध्यान आकर्षित किया कि आज उनकी पार्टी के कार्यकर्त्ताओं द्वारा धरना-प्रदर्शन का

कार्यक्रम आयोजित है। इस दौरान पुलिस प्रशासन द्वारा सुरक्षा की आड़ में जबरदस्ती लोगों के बैगों को खोल-खोलकर, उनके वाहनों को रोककर लोगों को परेशान किया जा रहा है।

माननीय सभापति ने सदन को सूचित किया कि सरकार के माननीय उपमुख्यमंत्री सदन में बैठे हैं, उनके संज्ञान में बात आ गई है ।

8. नियम 267-क के अन्तर्गत विषय

माननीय सभापति की घोषणानुसार निम्नलिखित सदस्यों की नियम 267-क के अधीन शून्यकाल की सूचनाएं सदन में पढ़ी हुई मानी गईं :-

(1) श्री अजय चन्द्राकर

(2) श्री बघेल लखेश्वर

(3) श्री रोहित साहू

9. याचिकाओं की प्रस्तुति

माननीय सभापति के निर्देशानुसार निम्नलिखित उपस्थित सदस्यों की याचिकाएं सदन में पढ़ी हुई मानी गयीः-

(1) श्री धरमलाल कौशिक

(2) श्री कुंवर सिंह निषाद

10. शासकीय विधि विषयक कार्य

छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2024 (क्रमांक 6 सन् 2024)

श्री रामविचार नेताम, कृषि विकास एवं किसान कल्याण मंत्री ने छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2024 (क्रमांक 6 सन् 2024) पुर:स्थापित किया ।

(1.03 बजे से 3.00 बजे तक अंतराल)

(सभापति महोदय (श्री धर्मजीत सिंह) पीठासीन हुए।)

11. स्थगन प्रस्ताव (क्रमशः)

स्थगन प्रस्ताव की ग्राह्यता पर चर्चा

माननीय सभापति ने सदन को सूचित किया कि अभी चर्चा शुरू नहीं हुई है । प्रस्तुत स्थगन प्रस्ताव की ग्राह्यता पर अब चर्चा प्रारंभ होगी। चर्चा हेतु दो घंटे निर्धारित है । सभी आदरणीय सदस्य कृपया समय सीमा का ध्यान रखेंगे।

श्री कवासी लखमा, सदस्य ने चर्चा प्रारंभ की ।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

श्री उमेश पटेल, श्रीमती अनिला भेंडिया, श्री दलेश्वर साहू,

12. अध्यक्षीय निर्देश

माननीय सभापति ने व्यवस्था दी कि ग्राहयता पर चर्चा में संक्षिप्त में अपनी बात रखनी होती है, अभी स्थगन की ग्राहयता पर चर्चा हो रही है, सभी वक्ता सदस्यों से अनुरोध है कि चर्चा में इस बात को रखें कि प्रस्तुत स्थगन को क्यों ग्राहय किया जाये ? इसके साथ ही यह भी सुझाव है कि पूर्व वक्ताओं के द्वारा जो बात रख दी गई हो, उसकी पुनरावृति न करें।

13. स्थगन प्रस्ताव (क्रमशः)

सर्वश्री ब्यास कश्यप, विक्रम मण्डावी, राघवेन्द्र कुमार सिंह, कुंवर सिंह निषाद, श्रीमती हर्षिता स्वाीमी बघेल, श्री अटल श्रीवास्तव, श्रीमती यशोदा निलाम्बर वर्मा, श्रीमती उत्तरी गनपत जांगड़े, श्रीमती कविता प्राण लहरे, श्रीमती संगीता सिन्हा, श्री द्वारिकाधीश यादव,

(अध्यक्ष महोदय (डॉ.रमन सिंह) पीठासीन हुए।)

डॉ.चरणदास मंहत, नेता प्रतिपक्ष

श्री विजय शर्मा उपमुख्यमंत्री (गृह) ने चर्चा का उत्तर दिया।

(माननीय अध्यक्ष ने सदन की सहमति से स्थगन प्रस्ताव की ग्राहयता पर चर्चा पूर्ण होने तक सदन के समय में वृद्धि की घोषणा की)

माननीय अध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि प्रस्तुत स्थगन प्रस्ताव पर प्रस्तुतकर्ता माननीय सदस्यों के विचार सुनने तथा शासन का उत्तर सुनने के बाद में इस स्थगन प्रस्ताव को प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं देता।

14. बहिर्गमन

(माननीय सदस्य श्री भूपेश बघेल, के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों द्‌वारा सत्तापक्ष के जवाब से असंतुष्ट होकर सदन से बहिर्गमन किया।)

सायं 6.00 बजे विधान सभा की कार्यवाही गुरुवार, दिनांक 25 जुलाई, 2024 (श्रावण 3, शक संवत् 1946) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई ।

दिनेश शर्मा
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा